भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4259
29 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: दादरा और नगर हवेली में कृषि योजनाएं

4259. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दादरा और नगर हवेली में किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसानों को उक्त संघ राज्यक्षेत्र में बीज, उर्वरक और खेती संबंधी उपकरणों के लिए कोई राजसहायता प्रदान की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या खराब मौसम के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए मुआवजा प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-रफ़्तार), प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), और कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम), आदि, जैसी योजनाएं दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होती हैं, जिन योजनाओं के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली को निधियां आवंटित/जारी की गई हैं, अनुबंध पर दी गई हैं। संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसानों को सब्सिडी सहित सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। राहत उपाय करने के लिए राज्य सरकार के पास राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में निधियां उपलब्ध हैं। गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए एसडीआरएफ से अधिक राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त

वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर अनुमोदित किया जाता है। अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता राहत के रूप में दी जाती है, न कि नुकसान के मुआवजे के लिए जैसा कि दावा किया गया है।

दादरा एवं नगर हवेली में वर्ष 2019 में बेमौसम बारिश से फसल को हुए नुकसान के लिए एसडीआरएफ की ओर से किसानों को राहत सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	**किसानों की संख्या**	**राशि (रुपए)**
2020-21	8928	32002382
2021-22	1502	5060571

लो.स.अता.प्र.सं.4259

अनुबंध

<u>वे योजनाएँ जिनके लिए वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान दादरा एवं नगर हवेली को आवंटित/जारी की गई धनराशि</u>

i. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि:** योजना के तहत 6000/- रुपए प्रति वर्ष, 2000/- रुपये की तीन 4-मासिक किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों को पूरा कर सकें।

पीएम-किसान योजना के तहत दिए गए लाभ

क्र.सं.	वर्ष	भुगतान किए गए अद्वितीय पात्र किसान	विभिन्न किश्तों में जारी कुल राशि (रुपए)
1	2019-20	13,530	10,49,98,000
2	2020-21	10,660	4,88,82,000
3	2021-22 (22.03.22 तक)	12,734	8,03,20,000

नोट: लाभों में दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं।

ii. **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में नुस्खे के साथ-साथ मिट्टी की पोषक स्थिति प्रदान करता है। दादरा और नगर हवेली में किसानों को जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की संख्या चक्र-I (2015 से 2017) में 2,222 और चक्र II (2017-2019) में 12,994 है।

iii. **समेकित बागवानी विकास मिशन:** देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एमआईडीएच का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एमआईडीएच के तहत, वर्ष 2021-22 के दौरान, दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को 35 लाख रुपये (100% भारत सरकार का हिस्सा) आवंटित किया गया था।

iv. **परम्परागत कृषि विकास योजना:** पीकेवीवाई को क्लस्टर मोड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया गया है, जिसमें किसानों को 3 वर्षों के लिए 50000 रुपए/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से रु. 31000 रुपए/हेक्टेयर/3 वर्ष सीधे किसानों को डीबीटी के माध्यम से जैविक आदानों जैसे बीज, जैव उर्वरक, जैव-कीटनाशक, जैविक खाद, कम्पोस्ट/वर्मिन खाद, वनस्पति अर्क आदि के लिए प्रदान किया जाता है।

v. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** हालांकि धन आवंटित किया गया था, इस योजना को अभी तक दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नहीं लिया गया है।

vi. **कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन:** एसएमएएम को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से अप्रैल, 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाकर 'रीचिंग द अनरीच्ड तक लाभ' है, जिसमें मुख्य रूप से महिला किसान शामिल हैं और 'कस्टम हायरिंग सेंटर' को बढ़ावा देकर, हाई-टेक और उच्च मूल्य वाले फार्म उपकरणों के लिए हब बनाकर।विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण करके, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने, और पूरे देश में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करके कृषि मशीनीकरण का लाभ देना है ।

****